



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)
RAJEEV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA,
(University of Technology of Madhya Pradesh)

क्रमांक/रागाप्रौवि/परीक्षा/2011/ 135
प्रति,

भोपाल, दिनांक 27-1-2011

प्राचार्य,
समस्त पोलीटेकनिक,
इंजीनियरिंग एवं डिप्लोमा फार्मसी,
मध्यप्रदेश

विषय – छात्रों के परीक्षा आवेदन बगैर जांच के अग्रेषण किए जाने विषयक ।

विषयान्तर्गत लेख है कि, पत्रोपाधि इंजीनियरिंग एवं फार्मसी के परीक्षा फार्म दिसम्बर 07/जनवरी 08 से एम.पी.ऑनलाईन के माध्यम से भरे जाते हैं तथा छात्रों के द्वारा भरे गए आवेदन पत्रों को संस्थाएं अग्रेषित करती हैं । अग्रेषण के उपरोक्त कार्य हेतु आरजीपीव्ही द्वारा प्रति नियमित छात्र 15/- रूपए अग्रेषण शुल्क के रूप में संस्थाओं को भुगतान किया जाता है । इसके उपरांत भी विगत दो वर्षों से यह देखने में आया है कि, छात्रों के परीक्षा फार्म का अग्रेषण उनके प्रवेश की अर्हता (विशेष तौर पर छात्र का नाम) अर्थात् 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूची के आधार पर परीक्षण न करते हुए प्रथम वर्ष के परीक्षा फार्म को अग्रेषित कर दिया गया है, जिसके कारण छात्रों की अंकसूची में त्रुटि उत्पन्न हो रही है । अनेक छात्र अंकसूची में उपरोक्त हुई त्रुटि के कारण त्रुटि सुधार हेतु इस कार्यालय में उपस्थित हो रहे हैं ।


उल्लेखनीय है कि परीक्षा आवेदन पत्रों के उचित परीक्षण न हो पाने के कारण आरजीपीव्ही को पूर्व में जारी की गई अंकसूचियों को निरस्त कर नवीन अंकसूचियों को जारी करने तथा अन्य कार्यों में अधिक श्रम करना पड़ रहा है । अतः विश्वविद्यालय स्तर पर यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक अंकसूची में नाम की त्रुटि पाए जाने पर संबंधित संस्थाओं की अग्रेषण की त्रुटि माना जाए तथा तदनुसार प्रति छात्र के मान से संस्थाओं को भुगतान किए गए 15/- रूपए की राशि आगामी अग्रेषण शुल्क से काट कर ही संस्थाओं को भुगतान किया जाए ।

अनुरोध है कि, तत्संबंध में आवश्यक कार्यवाही करते हुए संबंधितों को निर्देशित करेंगे कि, वे प्रथम वर्ष के परीक्षा फार्म को भलीभांति 10वीं अथवा 12वीं की अंकसूचियों से मिलान करने के उपरांत (विशेष तौर पर छात्र का नाम) ही छात्रों के परीक्षा आवेदनों को अग्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे । साथ ही साथ प्रथम सेमेस्टर/वर्ष की परीक्षा की गोपनीय सामग्री राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से प्राप्त करते समय प्रथम सेमेस्टर/प्रथम वर्ष में प्रवेशित विद्यार्थियों की सूची रोलनंबर व नाम सहित, जिसके साथ विद्यार्थियों की आधार परीक्षा (10वीं अथवा 12वीं) की अंकसूची की छायाप्रति संलग्न हो, इस कार्यालय के परीक्षा उपविभाग में जमा करना सुनिश्चित करें । उसके बगैर गोपनीय सामग्री प्रदान करना संभव नहीं होगा ।



राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय
(मध्यप्रदेश का तकनीकी विश्वविद्यालय)
RAJEEV GANDHI PROUDYOGIKI VISHWAVIDYALAYA,
(University of Technology of Madhya Pradesh)

अतः छात्र हित में उपरोक्त कार्य को सुनिश्चित करें ।


सचिव,

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 27-1-2011

पृ.क्रमांक/रागाप्रौवि/परीक्षा/2011/ 136
प्रतिलिपि -

1. समस्त अधिकारीगण, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गौतम नगर, भोपाल ।
2. अधीक्षक, परीक्षा/गोपनीय उपविभाग, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गौतम नगर, भोपाल ।


सचिव,

राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
भोपाल